बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–12/2017 160/ पटना, दिनांक:– 27.4.18

कार्यालय आदेश

संवेदक मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, प्रिमियर हाऊस, 19,जी0सी0 एवेन्यू, द्वितीय तल, कमरा नं0–64, कोलकाता, पिन कोड–700013 निबंधन सं0–पथ–अ0प्र0/श्रेणी–प्रथम–336/2010 द्वारा कटिहार जिलान्तर्गत अमदाबाद प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द, भवन का निर्माण कार्य के निविदा में भाग लिया गया ।

दिनांक–08.09.2017 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में विषयांकित कार्य की निविदा के निष्पादन के कम में वित्तीय बीड की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विषयांकित कार्य की निविदा के दो निविदाकारो यथा (i) मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0, कोलकाता एवं (ii) श्री अशोक कुमार, ग्राम–डहरिया गौशाला, पो0–न्यू जूट मिल, जिला–कटिहार द्वारा अनुसूचित मद एवं गैर अनुसूचित मद में एक समान राशि उद्धृत किया गया है जो कमशः 4,60,99,884.60 (चार करोड़ साठ लाख निन्यानवे हजार आठ सौ चौरासी रूपये एवं साठ पैसे) एवं 6,06,050.00 (छः लाख छः हजार पचास रू0) है यानि दोनों संवेदकों का कुल उद्धृत राशि रू0 4,67,05,934.60 (चार करोड़ सड़सठ लाख पॉच हजार नौ सौ चौतीस रूपये एवं साठ पैसे) है जिससे यह स्पष्ट होता है कि देानों निविदाकारों द्वारा समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लिया गया । इस तरह समीक्षोपरान्त विभागीय निविदा समिति ने पाया कि दोनों निविदाकारों द्वारा निविदा की गोपनीयता को भंग किया गया है।

उक्त कारणों से निविदा समिति द्वारा उक्त संवेदकों के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) के उप कंडिका (x) के तहत नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। विभागीय निविदा समिति के उक्त निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता (उत्तर) के पत्रांक–1953 (अनु0) दिनांक–13.09.2017 द्वारा उक्त दोनों संवेदकों के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस संबंध में विभागीय कार्यालय आदेश सं0–343 सह पठित ज्ञापांक–11792 (भ0) दिनांक–29.12.2017 एवं संशोधित कार्यालय आदेश सं0–27 (भ0) सह पठित ज्ञापांक–620 (भ0) दिनांक–18.01.2018 द्वारा संवेदक मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, प्रिमियर हाऊस, 19,जी0सी0 एवेन्यू, द्वितीय तल, कमरा नं0–64, कोलकाता, पिन कोड–700013 निबंधन सं0–पथ–अ0 प्र0/श्रेणी–प्रथम– 336/2010 को दिनांक–29.12.2017 से एक वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से निलंबित किया गया ।

उक्त विभागीय निर्णय के विरूद्ध संवेदक मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-598/2018 वाद दायर किया गया । उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–23.02.2018 को न्यायादेश पारित किया गया जो निम्नवत् है–

"Accordingly the impugned orders as Contained in memo no. 11792 (Bha) Dated 29.12.2017 (Annexure-5) is hereby quashed with liberty to the respondents to issue a fresh show cause in accordance with law, if suspension of the petitioner's registration is proposed" उक्त पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक-2914 (भ0) दिनांक-27.03.2018 द्वारा संवेदक मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 से पुनः स्पष्टीकरण पूछा गया कि आपके विरूद्ध निबंधन नियमावली 2007 के तहत आपके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत समूह बनाकर निविदा की गोपनीयता को भंग करते हुए निविदा में भाग लेने के लिए आपके निबंधन को कालीकरण/निलंबन की कार्रवाई क्यो नही की जाय। जिसके आलोक में आपके द्वारा इस संदर्भ में दिनांक-04.04.2018 को स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

दिनांक-06.04.2018 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में कालीकरण/निलंबन संबंधी बैठक हुई जिसमें समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि निविदा में दोनों निविदाकारों द्वारा निविदा के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित मदों के लिए दस अंकों तक निविदा में समान दर/राशि यानि कुल उद्धृत राशि रू0 4, 67,05,934.60 (चार करोड़ सड़सठ लाख पॉच हजार नौ सौ चौतीस रूपये एवं साठ पैसे) अंकित किया गया है जिसकी सम्भावना नगण्य है, जो महज एक संयोग नही हो सकता है वल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है।

अतः संवेदक के द्वारा साजिश के तहत समूह (Cartel) बनाकर निविदा की गोपनीयता को भंग करते हुए उक्त निविदा में भाग लेने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण को अमान्य किया गया ।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में उक्त संवेदक के स्प्ष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए संवेदक मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, प्रिमियर हाऊस, 19, जी0सी0 एवेन्यू,द्वितीय तल,कमरा नं0–64, कोलकाता, पिन कोड–700013 निबंधन सं0–पथ– अ0प्र0/श्रेणी–प्रथम–336/2010 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से निलंबित किया जाता है।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक– भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–डिबार/कालीकृत–12/2017...4172(भ)... पटना, दिनांक– 27.4.18

निबंधित

प्रतिलिपिः–संवेदक मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 प्रिमियर हाउस,19 जी0सी0 एवेन्यू, द्वितीय तल, कमरा नं0–64, कोलकाता, पिन कोड–700013 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–12/2017...4172(भ)... पटना, दिनांक–27.4.18

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन

निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 26/4/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–12/2017 4172(भ) पटना, दिनांक– 27.4.18

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई करना चाहेगें।

ह0/- 26/4/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक– भवन/अभि0प्र0(नि0)–02–विविध–12/2017 4172(भ) पटना, दिनांक– 27.4.18

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 26/4/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ह0/- 26.4.18